

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 350/2024

IN THE MATTER OF:

AMIT KUMAR AND ANR.

...APPLICANTS

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENTS

INDEX


S. No.	Particulars	Page No.
1.	Short Factual Reply to the Original Application No. 350/2024 on behalf of Respondent No. 8 along with Affidavit.	1 - 9
2.	Annexure R/1 (Colly): A True Copy of Communications dated 05.07.2024 and 11.09.2024 by Tahsildar, Neem ka thana.	10 - 28
3.	Annexure R/2: A True copy of Letter dated 17.09.2024 by the officials of Mining Department, Neem ka Thana.	29 - 30
4.	Annexure R/3 (Colly): A True Copy of Communication dated 18.01.2023 of Assistance Mining Engineer (Respondent No. 8).	31 - 35

5.	Annexure R/4: A tabular chart of rainfall data from the last 29 years for rain gauge stations at Neem ka Thana and Raipur Patan Dam site.	36
6.	Vakalatnama	37

Date: 01.10.2024
Place: New Delhi

RESPONDENT NO. 8

THROUGH


Ashok Kumar Verma
Assistant Mining Engineer,
Officer-in-Charge for Respondent No. 8
Department of Mines and Geology,
Government of Rajasthan

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 350/2024

IN THE MATTER OF:

AMIT KUMAR AND ANR.

...APPLICANTS

VERSUS


UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENTS

SHORT FACTUAL REPLY TO THE ORIGINAL APPLICATION NO.
350/2024 ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 8 ALONG WITH
AFFIDAVIT.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH

1. The present Short Factual Reply is being filed on behalf of the State of Rajasthan Through Chief Secretary i.e., Respondent No. 3, Water Resources Department i.e., Respondent No. 4, and Rajasthan River Basin & Water Resources Planning Authority, i.e., Respondent No. 6 to the Original Application preferred by and on behalf of Mr. Amit Kumar and Mr. Kailash Meena (*herein after referred to as 'Applicants'*) under Section 14 & 15(1) read with Section 18(1) & (2) of National Green Tribunal Act' 20 10 (*hereinafter referred to as 'NGT Act'*) by the Applicants herein before the Hon'ble National Green Tribunal (*hereinafter referred to as the 'Tribunal'*). It is further submitted that the Answering Respondents reserve



the right to prefer a detail reply to present Application, if necessary or directed by this Hon'ble Tribunal.

2. The Accompanying Reply filed by or on behalf of Respondent Nos. 3, 4, & 6 is being relied upon by the Answering Respondent and the same is not reiterated herein for the sake of brevity.

PRELIMINARY SUBMISSIONS

2. At the outset, the Answering Respondents disputes and denies all averments, submissions and contentions made in the Original Application save and except what is expressly admitted hereinafter. In the present application, the Applicants incorrectly alleges that illegal encroachments and illegal mining activities are affecting the flow of Kasawati/Krishnawati River in the Neem Ka Thana, District, State of Rajasthan and Mahendragarh, District, State of Haryana (*hereinafter referred to as 'river area'*) at present. The Applicants are trying to build a case that due to non-effective intervention; environmental conservation is getting affected leaving profound impact on the region including lowering of the groundwater level in return affecting the livelihood of farmers in the adjacent communities.




3. The Answering Respondents and the other concerned authorities are taking all necessary steps conservation, preservation and restoration of the catchment area of the river area.

BRIEF FACTUAL SUBMISSIONS

4. The Krishnawati/Kasawati River basin originates from the Mothuka & Dariba Mines hills. It is a seasonal river. The main catchment area of the river is adjoining area of Tehsil Patan and Neem ka thana of District Neem ka thana. The total catchment area of Krishnawati River is 288 Sq. Kms. The Various drains from the catchment area meet at Raipur Patan dam passing through a multitude of villages in both State of Rajasthan as well as in State of Haryana. This river historically has been considered a tributary to Sahibi River and has played a vital role in sustaining agriculture, supporting biodiversity, and serving as a lifeline for countless villages along its course.

5. The Krishnawati/Kasawati River becomes fully developed downstream of Raipur Patan dam near village Raipur Patan in District Neem ka thana and flowing approximate 22 Kms through various villages including Kachareda, Dhandhela, Rajpura, Hasampur, Jatwas, Chhaja ki nangal, Blupura, Ramsinghpura, Khurdiya, Rampura, Dalpatpura, Kanthi, Mothuka and Raipur Patan of District Neem ka thana in Rajasthan and near village Sirsa



time to time action is taken against illegal mining/transportation/storage of bajri which is carried out in/around the riverbed which forms the catchment area. It is further submitted that at present no lease stands sanctioned for Sand Mining in the Kasawati riverbed in the District Neem Ka Thana. A True copy of Letter dated 17.09.2024 by the officials of Mining Department, Neem ka Thana has been marked and annexed as **Annexure R/2**.

8. It is categorically submitted that time and again if any encroachment is found the authorities take immediate action. The Water Resources Department (Respondent No. 4) had issued 6 notices to the illegal encroachers in the year 2021 to remove/ vacate the illegal encroachment/ mining in the catchment area and the same is a matter of record. Such record is a proof that the Answering Respondents have acted vigilantly leaving no encroachment/ illegal mining on the riverbed in consonance with Environmental Protection norms to ensure that there is no hinderance in the river flow. Further on 17.01.2023, a joint Committee comprised of officials from Water Resources Department, Revenue Department and Mining Department made a field visit of the entire Kasawati River, in accordance with law. Thereby, ensuring that no encroachment/ illegal mining prevails in the concerned area. A True Copy of Communication dated 18.01.2023 of Assistance Mining Engineer (Respondent No. 8) has been annexed and marked as **Annexure R/3 (Colly)**.



9. The main reasons for the limited or low water flow of the Kasawati River can be attributed to several factors including but not limited to continuous reduction in the long-term average rainfall, the expansion of the agricultural sector, which has reduced independent catchment areas and consequently decreased water inflow. Additionally, the excessive extraction of groundwater has hindered the conversion of water into runoff, worsening the situation. A tabular chart of rainfall data from the last 29 years for rain gauge stations at Neem ka Thana and Raipur Patan Dam site has been annexed and marked as **Annexure R/4**.
10. The Answering Respondent undertake to comply with each and every order of this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit to the best of its capacity at its earliest. Further, the Answering Respondent crave the liberty to file additional submissions as and when required by this Hon'ble Tribunal.

PRAYER

It is therefore, most respectfully prayed that in view of the submissions made hereinabove, the Hon'ble Tribunal may be pleased to-

- i) Dismiss the Original Application bearing OA No. 350/2024 referred by/on behalf of the Applicants; and




- ii) Pass any other/further order which this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in the interest of justice, equity and good conscience.

RESPONDENT NO. 8

Date: 01.10.2024

Place: New Delhi

THROUGH


Ashok Kumar Verma
Assistant Mining Engineer,
Officer-in-Charge for Respondent No. 8
Department of Mines and Geology,
Government of Rajasthan

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
 PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
 ORIGINAL APPLICATION No. 350 OF 2024



IN THE MATTER OF:

AMIT KUMAR & ANR.

...APPLICANT

VERSUS


UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, Ashok Kumar Verma aged about 56 years, at present working as Assistant Mining Engineer, Neem ka Thana solemnly swear and affirm on as under:-

1. That I am the Officer in Charge (OIC) in the above captioned matter for the Department of Mines and Geology (Respondent No. 8). I am well conversant with the facts and circumstances of the case.
2. I state that I have read and understood the contents of the accompanying Reply which has been drafted by my counsel under my instructions and the same has been explained to me. I say that the contents of the same are true and correct to the best of my knowledge and belief.
3. That the submissions made therein are believed to be true and nothing material has been concealed therefrom.
4. I say that Annexures in the instant Reply is the true and correct copy, true and typed copy and true and translated copy of the original.

ATTESTED

 JAGDISH PRASAD
 NOTARY PUBLIC
 NEEMKATHANA,
 DIST SIKAR (RAJ.)
 Mob 9460239246


DEPONENT
 अशोक वर्मा
 सहायक खनि. अभियन्ता
 नेमका थाना

01 OCT 2024


VERIFICATION

I, the Deponent above named do hereby solemnly affirm that contents of Paragraphs no. 1 to 4 of the foregoing Affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at Neemkathana on this day 27 of September, 2024.


DEPONENT
 सहायक खनि. अभियन्ता
 जिला नीमकाथाना

ATTESTED


JAGDISH PRASAD
NOTARY PUBLIC
NEEMKATHANA
DIST SIKAR (RAJ.)
Mob 9460239246

10 1 OCT 2024

672

राजस्थान-सरकार

Annexure R/1 (Colly)

10

कार्यालय तहसीलदार, पाटन (नीमकाथाना)

क्रमांक:-राजस्व/2024/657

दिनांक:- 11/09/24

अधिशायी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड सीकर।

विषय - माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण संख्या 350/2024
अमित कुमार एवं अन्य बनाम युनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश
दिनांक 08.04.2024 के संबंध में सूचना उपलब्ध करवाने बाबत।

प्रसंग- आपका पत्रांक 1092-93 दिनांक 22.08.2024 व 1239-40 दिनांक 10.09.2024
के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्र क्रम में आप द्वारा चाही गयी सूचना संबंधित

पटवारी हल्का से निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर संलग्न कर भिजवायी जा रही है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

क्रमांक:-राजस्व/2024/658
प्रतिलिपि :- श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय नीमकाथाना।

M
तहसीलदार
पाटन (नीमकाथाना)

दिनांक :- 11/09/24

M
तहसीलदार
पाटन
जिला नीमकाथाना

673

प.म. - रामसिंहपुरा

11

आवाह ग्राम	शुद्धिमा
ग्राम पंचायत	रामसिंहपुरा
तहसील	पालन
जिला	मीम काभाना
ग्राम की कृष्णावती नदी के बहाव क्षेत्र से दूरी	524 मीटर
अतिक्रमण होने की रिपोर्ट में की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं है।
राजस्व रिकॉर्ड, लटरा नक्शा हेतु के अनुसार कृष्णावती नदी की न्यूनतम एवं अधिकतम चौ. मी. में	Min - 40m Max - 92m

Banda

प.म. - रामसिंहपुरा

प.म. - रामसिंहपुरा

आबाद ग्राम	रामसिंहपुरा, कु
ग्राम पंचायत	रामसिंहपुरा
तहसील	फरन
जिला	नीम का थाना
ग्राम की कुष्णावती नदी के नहाव क्षेत्र से दूरी	1320 मीटर
अतिक्रमण होने की स्थिति में की गई कार्रवाई	अतिक्रमण नहीं है।
राजस्व रिकॉर्ड, लटरा नक्शा ट्रेस के अनुसार कुष्णावती नदी की न्यूनतम एवं अधिकतम चौ. मी. में	Min - 50 मीटर Max. - 64 मीटर

B. Sarda
प.म. - रामसिंहपुरा

कामलिय पट्टा मण्डल राजपुरा तहसील पाटन (नीकडवाला)

आबाद ग्राम	थांचेला	भांडाला	नारायणी
ग्राम पंचायत	थांचेला	राजपुरा	राजपुरा
रहतील	पाटन	पाटन	पाटन
जिल्हा	नीकडवाला	नीकडवाला	नीकडवाला
ग्राम की कुळावली नदी के काल क्षेत्र से रही	ग्राम की कुळावली नदी - 1360 मीटर बागी बेग से - 360 मीटर	380 मीटर	120 मीटर
कुळावली नदी के ताल में अस्थिरता होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	नदी	नदी	नदी
सत्रिक रिकॉर्ड लच्छा नकशा देख के अनुसार कुळावली नदी की न्यूनतम एवं अधिकतम चौड़ाई (मीटर में)	न्यूनतम - 36 मीटर अधिकतम - 80 मीटर	न्यूनतम - 40 मीटर अधिकतम - 85 मीटर	न्यूनतम - 22 मीटर अधिकतम - 43 मीटर

30/8/24
राजपुरा

प. म. मैरिका

उत्पाद ज्ञान	कंपनी
उत्पन्न प्रकार	मैरिका
नदनील	पाटन
जिला	स्मिथ
उत्पन्न की कुलवारी नदी के	586 म.
वजार क्षेत्र से उत्पन्न	
कुलवारी नदी के ताल के अधिकांश क्षेत्र की स्थिति के बारे में जानकारी	नहीं
आज के निर्धारित ज्ञान के अनुसार कुलवारी नदी की कुलवारी क्षेत्र अधिकांश नदी (नदी के)	40-54 म.

79

प. म. मैरिका

उत्पाद ज्ञान	कंपनी
उत्पन्न प्रकार	मैरिका
नदनील	पाटन
जिला	स्मिथ
उत्पन्न की कुलवारी नदी के क्षेत्र	1380 म.
क्षेत्र से उत्पन्न	
कुलवारी नदी के ताल के अधिकांश क्षेत्र की स्थिति के बारे में जानकारी	नहीं
आज के निर्धारित ज्ञान के अनुसार कुलवारी नदी की कुलवारी क्षेत्र अधिकांश नदी (नदी के)	74-384

कुलवारी

पृष्ठ संख्या 11

पत्र- 31/4/0

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, सीकर।

प्रारूप

संबंधित ग्राम

भगेश्वर, माधुवाला, हेमराजपुरा, न्यारोणा

ग्राम पंचायत

डोकठा न्यारोणा

तहसील

पारठा

जिला

सीकर

ग्राम की कृष्णावती नदी में बसाव होना से दूरी
कृष्णावती नदी के ताल में अतिक्रमण होने की
स्थिति में की गई कार्यवाही

भगेश्वर से 1800 मी., माधुवाला से 300 मी., हेमराजपुरा
से 550 मी., न्यारोणा से 1550 मी.

अतिक्रमण नहीं है।

राजस्व रिकॉर्ड लट्टा नक्शा ट्रेस के अनुसार
कृष्णावती नदी की न्यूनतम एवं अधिकतम
चौड़ाई (मीटर में)

न्यूनतम - 30 मी.

अधिकतम - 60 मी.

डोकठा
का. डोकठा

प. ११ बेगा की नांगल

गावसु गाव	३१५१०१
गाव प. ११	बेगा की नांगल
राज्य	पंजाब
जिला	नीमकावाला
गाव की कुलपत्नी नदी के बहाव क्षेत्र से दुरी	१७० म. म.
अतिउमण होने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतिउमण नहीं है
राजस्व रिमांड, लठठा कम्पना ब्रेस हे अनुसार कुलपत्नी नदी की न्यूनतम एवं अधिकतम चौ. मी. से	MIN - ५० म. म. MAX - ३६ म. म.

प. ११ बेगा की नांगल



राजस्थान-सरकार

कार्यालय तहसीलदार, पाटन (नीमकाथाना)

क्रमांक:-राजस्व/2024/344

दिनांक:- 05/07/2024

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
नीमकाथाना।

विषय- माननीय राष्ट्रीय प्राधिकरण, नई दिल्ली प्रकरण संख्या 350/2024 अमित कुमार एवं अन्य युनियन आफ इण्डिया एवं अन्य।

प्रसंग- श्रीमानजी उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना का पत्रांक पीए/2024/221 दिनांक 04.05.2024 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्र के कम में निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय प्राधिकरण, नई दिल्ली प्रकरण संख्या 350/2024 अमित कुमार एवं अन्य युनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में माननीय प्राधिकरण द्वारा कासावती नदी के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण करने एवं अपशिष्ट डालने वाले स्टोन केशर, माईस, इत्यादि को चिन्हित कर रिपोर्ट पेश करने बाबत जांच भू0अ0नि0 रायपुर पाटन, पटवारी पटवार हल्का डोकन, पटवारी पटवार हल्का रायपुर पाटन से करवाई गयी मुताबिक जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है-

1. यह है कि उक्त कासावती नदी तहसील पाटन में ग्राम भगेश्वर से शुरू होकर ग्राम नाथूवाला, हेमराजपुरा, रायपुर पाटन से गुजरती हुई रायपुर पाटन बांध में मिलती है।
2. यह है कि कासावती नदी ग्राम भगेश्वर में खसरा नम्बर 305, 325, 382,411, 831 ग्राम नाथूवाला में खसरा नम्बर 124, 151, 152 165, 190, 79, 77, 98,124 ग्राम हेमराजपुरा में खसरा नम्बर 1, 592 तथा ग्राम रायपुर पाटन में खसरा नम्बर 30,32,39 में से गुजरती हुई रायपुर पाटन बांध में मिलती है
3. यह है कि उक्त खसरा नम्बरों को मौका देखा गया जिसमें कासावती नदी के बहाव क्षेत्र में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है तथा पानी बिना किसी रुकावट के रायपुर पाटन बांध तक जाता है उक्त नदी के बहाव क्षेत्र में वर्तमान में किसी प्रकार का पक्का अतिक्रमण नहीं है।
4. यह है कि बांध में ओवरफ्लो होने पर पानी पटवार मण्डल रायपुर पाटन, राजपुरा, हसामपुर, छाजा की नांगल, बल्लुपुरा, रामसिंहपुरा, बेगा की नांगल, मोदुका, दलपतपुरा, होते हुए हरियाण राज्य की सीमा में प्रवेश कर जाती है।

रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवामें सादर पेश है।

सलंगन - 1.सयुक्त मौका रिपोर्ट भू0अ0नि0 रायपुर पाटन, पटवारी पटवार हल्का रायपुर पाटन, डोकन।

2. जमाबंदी।

Email ID :- tdrpatan@gmail.com

तहसीलदार
पाटन

आज दिनांक 05/07/24 को श्रीमान तहसीलदार जी के आदेश क्रमांक राजस्व/2024/343 दिनांक 05/07/24 की पालना में कहमराह पटवारी हल्का डोकन व रायपुर पाटन के साथ कासावती नदी के बहाव क्षेत्र में अतिवृष्टि की जांच बाबत पहुंचा। उक्त कासावती नदी ग्राम भगेश्वर से शुरू होकर ग्राम नाथूवाला, हैमराजपुरा, रायपुर पाटन से गुजरती हुई रायपुर पाटन बाँध में मिलती है। उक्त कासावती नदी के ग्राम भगेश्वर में ख.नं. 305, 325, 382, 411, 448, 831 ग्राम नाथूवाला में ख.नं. 124, 151, 152, 165, 190, 292, 98, 124 ग्राम हैमराजपुरा में ख.नं. 1, 592, 593/838 तथा ग्राम रायपुर पाटन में ख.नं. 30, 32, 39 में से गुजरती हुई रायपुर-पाटन बाँध में मिलती है। उक्त ख.नं. का मौका देखा गया जिसमें कासावती नदी के बहाव क्षेत्र में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है तथा पानी बिना किसी रुकावट के रायपुर-पाटन बाँध तक जाता है। उक्त नदी के बहाव क्षेत्र में वर्तमान में किसी प्रकार का पम्प अतिवृष्टि नहीं है, बाँध में खोबरफ्लो होने पर पानी पटवार मण्डल रायपुर पाटन, धान्धेला, प.म. राजपुरा, हसामपुर, छाजा की नांगल, बल्लुपुरा, रामसिंहपुरा, वेगा की नांगल, मोडुआ होते हुए हरियाणा राज्य की सीमा में प्रवेश कर जाती है।

की सेवा में सादर स्तुति है।

रिपोर्ट श्रीमान जो

District Collector, Raigarh

संख्या :-
श्रेणी :- डोकन
स.नि. :- रायपुरपाटन
हमील :- पाटन
जिला :- सीकर

अंतिम चौसाला आधार सम्बन्ध :- 2075 - 2078 जमाबन्दी 2079 (वर्ष 2022) से स्थायी

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 1

खाता संख्या पुराना :- 0

281	0.0600	गै.मु.पहाड	0.0600
282	0.0700	गै.मु.पहाड	0.0700
285/1	0.8000	बंजड	0.8000
305	0.6600	गै.मु.नला	0.6600
307	0.2500	बंजड	0.2500
309	0.2500	बंजड	0.2500
310	0.1600	बंजड	0.1600
320	0.2000	गै.मु.रास्ता	0.2000
324	0.2500	गै.मु.नला	0.2500
325	0.5600	गै.मु.नला	0.5600
330	6.4800	बंजड	6.4800
335	3.6000	गै.मु.पहाड	3.6000
339	1.9000	गै.मु.पहाड	1.9000
34	1.7700	गै.मु.पहाड	1.7700
35	1.2500	गै.मु.पहाड	1.2500
363	0.1800	गै.मु.पहाड	0.1800
365	0.2000	गै.मु.पहाड	0.2000
379	0.4500	गै.मु.पहाड	0.4500
382	1.2000	गै.मु.नला	1.2000
385	0.8000	गै.मु.रास्ता	0.8000
385/835	0.6200	गै.मु.रास्ता	0.6200
396	0.2400	गै.मु.पहाड	0.2400
4	0.0600	गै.मु.पहाड	0.0600
411	1.0400	गै.मु.नला	1.0400
423	0.1400	गै.मु.रास्ता	0.1400
43	0.1900	गै.मु.पहाड	0.1900
436/2	0.0400	गै.मु.औधोगिक	0.0400
437/3	0.0500	बंजड	0.0500
437/4	0.1300	गै.मु.औधोगिक	0.1300
45	0.1900	गै.मु.पहाड	0.1900
456	1.1500	बंजड	1.1500
459/839	0.1500	बंजड	0.1500
460	2.5700	बंजड	2.5700
466	0.3300	बंजड	0.3300
467	0.0900	बंजड	0.0900
467/844	0.0700	बंजड	0.0700
468	0.3200	बंजड	0.3200
47	0.1600	गै.मु.पहाड	0.1600

संगेक्षर

अंतिम चौगाला आधार संख्या :- 2075 - 2078 जमाबन्दी 2079 (वर्ष 2022) में म्यागी

हल्का :- डोकन

भूमि धारक का नाम :- राज सरकार

सू. अभि. नि. :- रायपुरपादन

क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टेयर

तहसील :- पादन

खाता संख्या नया :- 1

जिला :- सीकर

खाता संख्या पुराना :- 0

75	1.1400	गै.मु.पहाड	1.1400
752	9.8700	गै.मु.पहाड	9.8700
755	6.9200	गै.मु.पहाड	6.9200
760	0.0100	गै.मु.पहाड	0.0100
761	0.0600	गै.मु.पहाड	0.0600
762	0.3800	गै.मु.पहाड	0.3800
763	4.2600	गै.मु.पहाड	4.2600
765	0.0400	बंजड	0.0400
770	0.0200	बंजड	0.0200
771	0.0400	बंजड	0.0400
780	0.4100	बंजड	0.4100
785	0.1300	बंजड	0.1300
79	0.4400	गै.मु.नला	0.4400
792	0.1800	बंजड	0.1800
822	0.0200	गै.मु.पहाड	0.0200
823	0.6000	गै.मु.पहाड	0.6000
824	0.1400	गै.मु.नला	0.1400
826	0.3800	गै.मु.रास्ता	0.3800
828	0.0600	गै.मु.नला	0.0600
830	1.4300	बंजड	1.4300
831	3.8200	गै.मु.नदी	3.8200
845/766	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200
846/766	0.0200	बंजड	0.0200
847/766	1.9600	बंजड	1.9600
851/787	1.0500	बंजड	1.0500
852/787	0.1600	गै.मु.रास्ता	0.1600
853/787	0.9600	बंजड	0.9600
882/425	0.0183	गै.मु.रास्ता	0.0183
884/842	0.0100	गै.मु.रास्ता	0.0100
910/479	0.0494	गै.मु.रास्ता	0.0494
912/480	0.0165	गै.मु.रास्ता	0.0165
913/791	1.4968	बंजड	1.4968
914/791	0.0732	गै.मु.रास्ता	0.0732
918/53	0.1840	गै.मु.पहाड	0.1840
919/53	0.2060	गै.मु.रास्ता	0.2060
920/53	1.2300	गै.मु.पहाड	1.2300
932/283	1.5000	बंजड	1.5000
945/459	0.0732	गै.मु.रास्ता	0.0732

**जमाबन्दी
(प्रतिलिपि)**

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- नाभूवाला
पटवार हल्का :- डोकन
भू.अभि.नि. :- रायपुरपाटन
तहसील :- पाटन
जिला :- सीकर

अंतिम चौसाला आधार संवत्त :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2079 (वर्ष 2022) में स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 1
खाता संख्या पुराना :- 1

काश्तकार का नाम:-

राज. सरकार

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
113	0.0700	गै.मु.पहाड़	0.0700			
122	3.0500	बंजड़	3.0500			
130	4.6500	गै.मु.पहाड़	4.6500			
152	1.1600	गै.मु.नदी	1.1600			
165	1.0100	गै.मु.नदी	1.0100			
166	0.1000	गै.मु.सड़क	0.1000			
167	0.3300	गै.मु.पहाड़	0.3300			
168	0.1700	बारानी 3	0.1700			
169	0.0300	बारानी 3	0.0300			
170	0.1300	बारानी 3	0.1300			
171	0.0500	बारानी 3	0.0500			
172	0.1400	बारानी 3	0.1400			
173	0.0800	बारानी 3	0.0800			
179	0.1500	गै.मु.पहाड़	0.1500			
180	0.0700	गै.मु.पहाड़	0.0700			
181	0.2800	गै.मु.पहाड़	0.2800			
187	0.0400	गै.मु.पहाड़	0.0400			
188	0.0100	गै.मु.पहाड़	0.0100			
189	0.0400	गै.मु.पहाड़	0.0400			
190	2.6000	गै.मु.नदी	2.6000			
191	0.3500	गै.मु.नाला	0.3500			
192	0.7000	बंजड़	0.7000			
193	0.1500	गै.मु.सड़क	0.1500			
194	0.6700	बंजड़	0.6700			
202	0.0500	गै.मु.सड़क	0.0500			
203	0.0600	गै.मु.सड़क	0.0600			
206	0.3500	गै.मु.सड़क	0.3500			
207	1.4000	गै.मु.पहाड़	1.4000			
208	0.3100	गै.मु.पहाड़	0.3100			
22	0.0500	गै.मु.पहाड़	0.0500			
220	0.2000	गै.मु.पहाड़	0.2000			

नाथवाला

अंतिम चौसाला आधार संवत् :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2079 (वर्ष 2022) में म्यागी

हल्का :- डोकन

भूमि धारक का नाम :- राज सरकार

भू.अभि.नि. :- रायपुरपाटन

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- पाटन

खाता संख्या नया :- 1

जिला :- सीकर

खाता संख्या पुराना :- 1

442/355	0.1400	गै.मु.पहाड़	0.1400
45	0.1000	गै.मु.पहाड़	0.1000
46	0.0900	गै.मु.पहाड़	0.0900
47	0.0400	गै.मु.पहाड़	0.0400
48/2	19.0900	गै.मु.पहाड़	19.0900
49	0.1100	बारानी 2	0.1100
50	9.2200	बंजड़	9.2200
54	1.0000	बंजड़	1.0000
6	0.0600	बंजड़	0.0600
7	0.0100	गै.मु.सड़क	0.0100
77	0.0500	गै.मु.नदी	0.0500
79	0.7000	गै.मु.नदी	0.7000
8	0.0400	बंजड़	0.0400
90	0.2500	गै.मु.पहाड़	0.2500
95	0.2000	चाही 3	0.2000
96	0.2300	चाही 3	0.2300
97	0.0100	गै.मु.चाह	0.0100
98	2.3400	गै.मु.नदी	2.3400
कुल खसरे - 87	74.7100		74.7100

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 5-Jul-2024

NIC

जमाबन्दी
(प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम - हेमराजपुरा
पटवार हत्का - डोकन
भू अभि नि - रायपुरपाटन
तहसील - पाटन
जिला - सीकर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत - 2075 - 2078 जमाबंदी 2079 (वर्ष 2022) से स्थायी
भूमि धारक का नाम - राज सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई - हैक्टेयर
खाता संख्या नया - ।
खाता संख्या पुराना - ।

काश्तकार का नाम:-

राज सरकार

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1	6.7500	गै.मु.नदी	6.7500			स्वीकृत नामान्तरकरण : 222 09/09/2022 आवंटन
104	0.0500	गै.मु.रास्ता	0.0500			
105	0.0700	गै.मु.रास्ता	0.0700			
11	0.0300	गै.मु.बावड़ी	0.0300			
112	0.0700	गै.मु.रास्ता	0.0700			
115	0.0900	गै.मु.रास्ता	0.0900			
13	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400			
141	0.2500	गै.मु.रास्ता	0.2500			
142	0.1100	गै.मु.रास्ता	0.1100			
145	0.0600	गै.मु.रास्ता	0.0600			
146	0.1800	गै.मु.रास्ता	0.1800			
147	0.0900	गै.मु.रास्ता	0.0900			
148	0.1000	गै.मु.रास्ता	0.1000			
149	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300			
154	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400			
165	0.1800	गै.मु.रास्ता	0.1800			
169	0.1600	गै.मु.रास्ता	0.1600			
170	0.1100	गै.मु.रास्ता	0.1100			
179	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200			
180	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400			
181	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400			
182	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300			
183	0.1400	गै.मु.रास्ता	0.1400			
184	0.2600	गै.मु.रास्ता	0.2600			
185	0.0800	गै.मु.रास्ता	0.0800			
244	0.0200	गै.मु.चाह	0.0200			
246	0.1000	गै.मु.सड़क	0.1000			
266	0.2000	गै.मु.रास्ता	0.2000			
33	0.6300	गै.मु.पहाड	0.6300			
403	0.3500	गै.मु.सड़क	0.3500			
44	0.2400	गै.मु.पहाड	0.2400			
45	1.7100	गै.मु.पहाड	1.7100			
453	0.0100	गै.मु.बोरिंग	0.0100			
458	0.0800	गै.मु.रास्ता	0.0800			
461	0.1200	बंजड़	0.1200			
478	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400			
479	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400			

गाँव :- हेमराजपुरा
बटवार हल्का - डोकन
भू अभि नि - रायपुरपाटन
तहसील - पाटन
जिला - सीकर

अंतिम चौसाला आधार संवत् - 2075 - 2078 जमाबंदी 2079 (वर्ष 2022) से स्थायी
भूमि धारक का नाम - राज सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई - हेक्टेयर
खाता संख्या नया - ।
खाता संख्या पुराना - ।

48	0.3500	गै.मु.पहाड	0.3500
49	0.9200	गै.मु.पहाड	0.9200
496	0.0100	गै.मु.रास्ता	0.0100
497	0.0700	गै.मु.रास्ता	0.0700
498	0.1200	गै.मु.रास्ता	0.1200
499	0.2100	गै.मु.रास्ता	0.2100
5	0.0200	गै.मु.सड़क	0.0200
50	0.1500	गै.मु.पहाड	0.1500
586	0.2600	गै.मु.रास्ता	0.2600
591	3.9200	गै.मु.शमशान	3.9200
592	5.9500	गै.मु.नदी	5.9500
772	0.6800	गै.मु.नदी	0.6800
773	0.1000	गै.मु.नदी	0.1000
786	0.0500	गै.मु.खड्डा	0.0500
788	0.1400	गै.मु.खड्डा	0.1400
797	0.1300	गै.मु.नदी	0.1300
798	0.1000	गै.मु.नदी	0.1000
798/839	0.0500	गै.मु.नाला	0.0500
799	0.0300	गै.मु.नदी	0.0300
805	0.1200	गै.मु.नदी	0.1200
808	0.1100	गै.मु.नाला	0.1100
809	0.1100	गै.मु.नाला	0.1100
818	0.8400	बंजड़	0.8400
830	0.4600	गै.मु.सड़क	0.4600
831	0.0600	गै.मु.सड़क	0.0600
832	0.6200	बंजड़	0.6200
87	0.3800	गै.मु.सड़क	0.3800
895/457	0.1100	गै.मु.रास्ता	0.1100
898/457	0.0144	गै.मु.रास्ता	0.0144
91	0.0500	गै.मु.बावड़ी	0.0500
93	0.0100	गै.मु.चाह	0.0100
97	0.0600	गै.मु.सड़क	0.0600

कुल खसरे - 69 28.7644 28.7644

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।
नकल जारी करने की तिथि :- 5-Jul-2024



अंतिम चौसाला आधार सम्बत :- 2075 - 2078 जमाबन्दी 2079 (वर्ग 2022) मे म्थायी

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टेयर

खाता संख्या नया :- 1

खाता संख्या पुराना :- 1

रायपुर पाटन
रायपुरपाटन
रायपुरपाटन
पाटन
सीकर

2007/1426	0.0100	गै.मु.रास्ता	0.0100
2022/1972	1.7500	बंजड़	1.7500
2024/896	2.4500	बारानी 3	2.4500
217	0.0200	बंजड़	0.0200
227	0.0900	गै.मु.चाह	0.0900
230	0.9400	चाही 1	0.9400
265	0.0400	बंजड़	0.0400
280	0.0500	गै.मु.चाह	0.0500
29	0.4700	बंजड़	0.4700
299	0.0100	गै.मु.चाह	0.0100
30	17.1200	गै.मु.नदी	17.1200
300	0.0800	बंजड़	0.0800
308	0.2600	बंजड़	0.2600
32	0.0200	गै.मु.नदी	0.0200
322	0.1600	गै.मु.चाह	0.1600
33	0.1000	गै.मु.पाल	0.1000
349	0.1500	बंजड़	0.1500
350	0.1800	बंजड़	0.1800
38	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400
382	0.0600	गै.मु.चाह	0.0600
384	0.0400	बंजड़	0.0400
387	0.2000	बंजड़	0.2000
39	0.9100	गै.मु.नदी	0.9100
465	0.1400	गै.मु.चाह	0.1400
475	0.1500	गै.मु.पहाड़	0.1500
482	0.1600	बंजड़	0.1600
525	0.0800	बंजड़	0.0800
526	0.0300	गै.मु.पहाड़	0.0300
527	0.4500	गै.मु.सड़क	0.4500
531	0.3100	गै.मु.पहाड़	0.3100
534/2008	1.4000	गै.मु.पहाड़	1.4000
535/2010	0.9000	गै.मु.पहाड़	0.9000
535/2011	1.6300	गै.मु.पहाड़	1.6300
536/2009	2.6700	गै.मु.पहाड़	2.6700
544	0.9300	बंजड़	0.9300
546	0.3300	गै.मु.तलाई	0.3300
554	0.0600	बंजड़	0.0600
559	0.1500	बंजड़	0.1500

राजस्थान-सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नीमकाथाना
दूरभाष व फ़ैक्स:01574-231810 E-mail:- ame.neemkathana@rajasthan.gov.in
क्रमांक: सखअ/नीम/अप्र/बजरी/एन.जी.टी./3097 दिनांक 17.09.2024
प्रेषित:-

अधिशायी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड सीकर।

विषय:-माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रकरण संख्या-350/2024
अमित कुमार एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश
दिनांक 08.4.2024 के संबध में सूचना उपलब्ध करवाने बाबत।
प्रसंग:-आपके पत्रांक 1096 दिनांक 22.08.2024 एवं 1237 दिनांक 10.09.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्रांक के क्रम में यह कि कासावती नदी क्षेत्र जो निमोद, गांवड़ी राजस्व सीमा से होकर रायपुर पाटन बांध क्षेत्र तक जाती है। कार्यालय रिकार्ड अनुसार नदी क्षेत्र के आस-पास 6 खनन पट्टें खनिज चेजापत्थर के स्वीकृत होकर प्रभावशील है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क. सं.	खनन पट्टा संख्या	खनिज	क्षेत्रफल	उत्पादन क्षमता	अवैध खनन की स्थिति
1.	363/2004	चेजापत्थर	1.00	150000 वार्षिक	उक्त खनन पट्टों में अवैध खनन का कोई प्रकरण नहीं बना है।
2.	364/2004	चेजापत्थर	1.00	150000 वार्षिक	
3.	692/2010	चेजापत्थर	1.00	15257 वार्षिक	
4.	693/2010	चेजापत्थर	1.00	49300 वार्षिक	
5.	694/2010	चेजापत्थर	1.00	150000 वार्षिक	
6.	116/2010	चेजापत्थर	1.00	152000 वार्षिक	

कार्यालय तकनीकी कर्मचारी द्वारा दिनांक 05.07.2024 कसावती नदी क्षेत्र में किसी अतिक्रमण/रूकावट की जांच के लिए जीर की चौकी क्षेत्र में पहुंचे। मौके पर WRD के सहायक अभियन्ता, SDM नीमकाथाना तहसील पाटन व हल्का पटवारी की टीम के साथ निमोद गांव की तरफ से माईनिंग व केशर जोन के साथ बहने वाले प्राकृतिक जल प्रवाह के उद्गम स्थल से नीमकाथाना कोटपूतली मार्ग तक प्रवाह क्षेत्र का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि पिछले दिनों हुई तेज बारिश का पानी कहीं नहीं रुका है एवं निर्बाध रूप से प्रवाहित होकर निकल चुका है। मौके पर किसी भी खनन पट्टें के कारण व केशर यूनिट के कारण पानी के प्रवाह में कोई रूकावट नहीं होना पाया गया। विभाग द्वारा नदी क्षेत्र में खनिज बजरी के अतिरिक्त अन्य खनिज का खनन पट्टा जारी नहीं किया गया है।

जिला सीकर (वर्तमान जिला नीमकाथाना) की तहसील नीमकाथाना व पाटन (नवगठित तहसील), (राजस्व ग्राम डाबला को छोड़कर) में गैर मुमकिन नदी, नालों के खसरा क्षेत्रों से निकलने

वाली खनिज बजरी क्षेत्रफल 3150.07 हेक्टेयर का खनन पट्टा दिये जाने हेतु श्री महेन्द्र सिंह रत्नावत पुत्र श्री नवल सिंह रत्नावत निवासी-53, गोलीमार गार्डन, सहकार मार्ग, जयपुर (राज.) के पक्ष में शासन के पत्र क्रमांक प.7(22)खान/गुप-2/13 जयपुर दिनांक 10.05.2013 द्वारा मंशा-पत्र जारी किया गया।

तत्पश्चात् माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 9703-9706/13 एस.एल. पी. (सिविल) संख्या 34811/2013 में पारित आदेश दिनांक 25.11.2013 के अनुसरण में शासन के पत्र क्रमांक प.7(22)खान/गुप-2/2013 जयपुर दिनांक 19.12.2013 द्वारा मंशा-पत्र धारक के पक्ष में क्षेत्र में खनन कार्य करने हेतु अस्थाई कार्यानुमति दिनांक 28.02.2014 तक के लिये सशर्त जारी की गई, जिसके तहत अस्थाई कार्यानुमति धारक द्वारा दिनांक 24.12.2013 से क्षेत्र में खनन कार्य प्रारम्भ किया गया। तत्पश्चात् माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.11.17 से राज्य में खनिज बजरी के समस्त 82 खनन पट्टों/अस्थाई कार्यानुमति क्षेत्र में खनन कार्य तुरन्त प्रभाव से रोक लगा दी गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसरण में निदेशालय द्वारा पत्र दिनांक 17.11.17 से खनिज बजरी के समस्त खनन पट्टों/अस्थाई कार्यानुमति क्षेत्र में खनन कार्य तुरन्त प्रभाव से बन्द कराये जाने के निर्देश दिये गये, जिसकी पालना में उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में खनन गतिविधियां तुरन्त प्रभाव से बन्द कराई गई। इस प्रकार कार्यालय क्षेत्राधिकार में खनिज बजरी हेतु कोई खनन पट्टा स्वीकृत होकर प्रभावशील नहीं रहा है।

क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध विभाग द्वारा सतत कार्यवाही की जाती है, प्रश्नगत क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन के विरुद्ध दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 16.09.2024 तक की गई कार्यवाही का विवरण निम्न तालिकानुसार है:-

क्र. सं.	अवैध खनन के प्रकरण	अवैध निर्गमन के प्रकरण	कुल प्रकरण	आरोपित शास्ती राशि (रूपये में)	जमा शास्ती राशि (रूपये में)
1.	4	13	17	15,63,250	15,63,250

उक्तानुसार प्रकरण की वस्तुस्थिति रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की गई।

भवदीय


(अशोक वर्मा)

सहायक खनि अभियन्ता
नीमकाथाना

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नीमकाथाना

दस्तावेज संख्या 01574-231810

E-mail - amc.neemkathana@rajasthan.gov.in

दिनांक - 18.01.2023

कमांक संखअ/नीम/विकि/2023/381

प्रेषित:-

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना।

विषय - नीमकाथाना की कासावती नदी के बहाव क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों को रोकने जाने के सम्बन्ध में।

पत्र - आपका पत्रांक 48-50 दिनांक 13.01.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासांगिक पत्र के साथ संलग्न शिकायत प्रतिवेदन श्री कैलह मीणा राजस्थान समन्वयक जल आन्दोलनों का राष्ट्रीय समन्वय निवासी भराला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर की संयुक्त जांच अधोहस्ताक्षरकर्ता मय तकनीकी कर्मचारी, सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता), नीमकाथाना, राजस्व विभाग एवं सिचाई विभाग के साथ दिनांक 17.01.2023 को की गई (प्रति संलग्न)। उक्त शिकायत की जांच उपरोक्त विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के संयुक्त रूप से कासावती नदी क्षेत्र जो निमोद, गावडी राजस्व सीमा से निर्गमित होकर रायपुर पाटन बांध क्षेत्र तक जाती है, तक का मौका निरीक्षण किया गया।

शिकायत में वर्णित अवैध खनन गतिविधियों के सम्बन्ध में जांच की गई, जिसके अनुसार इस कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार नदी क्षेत्र के आस-पास 6 खनन पट्टे खनिज बेजा पत्थर के स्थीकृत होकर प्रभावी है। जिसका विवरण निम्न है-खनन पट्टा 116/10, 363/04, 364/04, 694/10, 692/10 व 693/10 एव इसके अतिरिक्त खातेदारी भूमि में खनन पट्टा संख्या 363/04 से लगती हुई दो लीज आवेदित है, जो प्रकियाधीन है इस कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार उपरोक्त 6 खनन पट्टों क्षेत्रों की मौका स्थिति अनुसार अवैध खनन नहीं होना पाया गया। मौका स्थिति अनुसार खनन पट्टा संख्या 692/10 एवं 693/10 के पास खान का मलबा पड़ा हुआ पाया गया, जिसे मौके पर समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति में पट्टाधारी के प्रतिनिधि द्वारा जेसीबी की सहायता से हटाया गया एवं भविष्य में नदी क्षेत्र में मलबा नहीं डालने हेतु पाबन्द किया गया।

मौका निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार मौके पर ही गावडी सिलिका केंद्र के पदाधिकारियों द्वारा नदी क्षेत्र के किनारे पर मलबा डाला हुआ पाया गया, जिसको भी प्रतिनिधि द्वारा जेसीबी मशीन द्वारा मौके पर हटा दिया गया। तत्पश्चात कासावती नदी/नाला का आगे बढ़ते हुये निरीक्षण किया गया, जिसमें नदी/नालों को अवरुद्ध करके व मिट्टी भरकर रास्ता बनाया गया, जो खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 662 के सामने खसरा नम्बर 669 को मौके पर ही जेसीबी मशीन की सहायता से हटाया जाकर नाले के साफ किया गया। इस कार्यवाही के पश्चात आगे नदी/नाले का निरीक्षण करने पर नदी/नाले के किनारे के पास आर. के स्टोन केंद्र के प्रतिनिधि श्री अनिल शर्मा को बुलाया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि दो दिवस में मलबे को हटा दिया जायेगा। उक्त निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार नदी क्षेत्र के अधिकांश भाग निरीक्षण के दौरान पाया गया कि नदी/नाला क्षेत्र साफ होना पाया गया। एक ही स्थान पर नाले/नदी को अवरुद्ध करके मिट्टी डालकर रास्ता बनाया गया हुआ था, जिसको जेसीबी की सहायता से मलबा हटाकर नाले/नदी क्षेत्र को साफ किया गया। श्री कैलह मीणा के उक्त प्रतिवेदन में कासावती नदी क्षेत्र में जीर की चौकी के पास निमोद, राजस्व ग्राम क्षेत्रों में केंद्रों के अवैध निर्माण बाबत उल्लेख किया गया है इस सम्बन्ध में निवेदन है कि निमोद राजस्व ग्राम नगरपालिका, नीमकाथाना की सीमा में आता है। प्राक्धानों के अनुसार नगरपालिका से भूमि उपयोग परिवर्तन (लेण्ड कन्वर्जन) किये जाने के पश्चात ही प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा उनके प्राक्धानों अनुसार ही ईकाई की स्थापना कर संचालन की अनुमति के पश्चात संयंत्र स्थापित किया जा सकता है। नगरपालिका सीमा के बाहर राजस्व विभाग की भूमि उपयोग परिवर्तन (लेण्ड कन्वर्जन) करवाये जाने के पश्चात ही केंद्र संयंत्रों का निर्माण किया जा सकता है। खान विभाग द्वारा केंद्र

3/1

स्थापना की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाती है। समय-समय पर खनन पट्टी क्षेत्रों की जांच की जाती रहेगी और अवैध खनन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मौके पर खनन पट्टीधारियों व केंद्रों के प्रतिनिधियों को पाबन्द किया गया कि कासावती नदी/नाले में भविष्य में मलबा डालकर अवरोध नहीं किया जाये। केंद्र भूमियों से सम्बन्धित उनके संचालन के लिये कन्सेन्ट टू ऑपरेट प्रदूषण विभाग से जारी की जाती है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आप अपने स्तर में सम्बन्धित विभाग से अवैध गतिविधियों एवं कन्सेन्ट टू ऑपरेट की शर्तों की पालना नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु लिखा जावे। संयुक्त मौका जांच रिपोर्ट मौके पर बनायी जाकर हस्ताक्षर किये गये। राजस्व विभाग के अनुसार कासावती नदी/नाला राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है।

उक्तानुसार राजस्व विभाग, खनिज विभाग व जल संसाधन विभाग नीमकाथाना की संयुक्त जांच/कार्यवाही रिपोर्ट श्रीमान को वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न:-1. संयुक्त मौका जांच रिपोर्ट।

2. कार्यवाही के समय लिये गये फोटोग्राफ।

3/18.01.2023
(अमीयन्द दुहारिया)

सहायक खनि अभियन्ता
नीमकाथाना

दिनांक:-18.01.2023

क्रमांक सस-362-366

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आक्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

1. श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना।
2. श्रीमान खनि अभियन्ता सीकर को श्रीमान जिला कलक्टर सीकर के पत्र क्रमांक 61 दिनांक 11.01.2023 के क्रम में।
3. श्रीमान तहसीलदार नीमकाथाना।
4. श्रीमान सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता), नीमकाथाना।
5. श्रीमान सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग नीमकाथाना।

3/18.01.2023
सहायक खनि अभियन्ता
नीमकाथाना

नदी के आस पास एक खनन परचे अविष्य देवा पत्तल खीष्ट
 होकर पुनःवशील है। M.L.No. 116/10, 363/04, 364/04, 699/10, 692/10
 693/10 इसके अतिरिक्त खादेवारी भूमि में M.L.No. 363/04 के खगरी इ
 से लीज आवेष्ट है जो पुनःवशील है। कार्यालय रिकार्ड के अनुसार
 उक्त खा खनन परचे क्षेत्रों की मौका सिवरी के अनुसार कट निरीक्षण
 अर्थात् खनन होना नहीं पाया गया। मौका सिवरी के अनुसार M.L.No.
 693/10, 694/10 के पास खान का मलबा पड़ा हुआ पाया गया जिसे
 हटाने के लिये पर्यवर्षा के अतिरिक्ति को बुलाया जाकर 30/03/1971
 से शर्ती अतिरिक्ति के अतिरिक्ति की अवस्थिति में मलबा हटवाया गया
 तथा अविष्य में आसावरी नदी क्षेत्र में मलबा नहीं डालने हेतु
 पाषण्ड किया गया। शर्ती अतिरिक्ति के अतिरिक्ति द्वारा आसावरी नदी
 क्षेत्र में धुमकुर निरीक्षण किया गया तो ~~अ~~ गोष्ठी सिवरी के
 के पर्यवर्षा द्वारा नदी क्षेत्र के किनारे पर मलबा डाला हुआ पाया
 गया। मोठे पा ही के अतिरिक्ति की निरीक्षण को बुलाकर
 रक. ए. सी. नदी से मलबा हटाया गया। इसके परन्तु का आसावरी नदी नदी
 क्षेत्र का आगे बढ़ते हुए निरीक्षण किया गया, जिसमें नदी नाला को
 सुवच्छ करके क मिसरी नदी नदी शाखा बनाया गया जो खादेवारी भूमि के
 खलरा नम्बर 662 के सामने समय नम्बर 663 के मोठे पर (नाला) को अर्थात्
 था। जिसको मोठे पर 30/03/1971 की सप्तमता में हटाया गया मोठे नाले
 को हटाफ किया गया। इस खादेवारी के परन्तु आगे नदी नाले का निरीक्षण
 करने पर नदी नाले के किनारे के पास R.10. रोजन के अतिरिक्ति
 के पास मलबा डाला गया हुआ पाया गया। मोठे पर के अतिरिक्ति
 भी अमित शर्ती को बुलाया गया से उनके द्वारा बनाया गया कि
 से दिवस में मलबा को हटा दिया जावेगा। आसावरी नदी नाला के
 अतिरिक्ति भाग में निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि नदी नाला
 क्षेत्र साफ होना पाया गया। शक खान पा ही नाले नदी को अर्थात्
 कले मिसरी डालकर शाखा बनाया हुआ था जिसमें 30/03/1971 से
 मलबा हटाकर नाले नदी क्षेत्र को साफ किया गया। भी केलाशमीणा
 ने अपने उक्त अतिरिक्ति में आसावरी नदी के बहाव क्षेत्र में जीट की
 मोठी के पास मिमोय राजस्व ग्राम क्षेत्रों में के अतिरिक्ति अर्थात् मिमोय
 वाक. उल्लेख किया है। एम सतम्बध में मिमोय है कि मिमोय राजस्व
 ग्राम नगरपालिका, नीमकाथाना की सीमा में आता है। प्रावधानों के
 अनुसार नगरपालिका से भूमि उपयोग परिचयन (लैण्ड कन्वर्षन) इसके
 जान के परन्तु ही पुनःवशील निरीक्षण मण्डल द्वारा उनके प्रावधानों
 अनुसार किार स्थापना। किार लेनालन की अनुमति के परन्तु ही के अतिरिक्ति

नाला 2 ~~शर्ती~~ ~~अ~~ ~~शर्ती~~ ~~अ~~ ~~शर्ती~~ P.100

संयंत्र स्थापित किया जा सकता है। नगरपालिका सीमा के बाहर
 राजस्व विभाग की भूमि उपयोग परिवर्तन (लैंड न-नॉन) के खाने
 जाने के परवाना ही केशर संयंत्रों का निर्माण किया जा सकता है।
 खान विभाग द्वारा केशर स्थापना की किसी प्रकार की अनुमति
 नहीं दी जाती है। समस्त प्रकल्प पर खनन पट्टा लोगों की जान
 की जाती रहेगी और अर्बेय खनन पात्रे जाने पर मिश्रमातृका अपशिष्ट
 की जावेगी। मौके पर खनन प्रशासक के व्हाइसरो के प्रतिनिधियों को
 पावन्ड किया गया कि कामावती नदी/नाले में अविलम्ब में मलका
 डालकर इनकल्ट नहीं किया जावे। केशर भूमिसे ले सम्बन्धित उनके
 संचालन के लिये कंसोर्ट डू ऑफ़रेर प्रदूषण विभाग सीमा ले जाई
 की जाती है। अतः भीमान में मिश्रण है कि आप अपने स्टल ले
 सम्बन्धित विभाग से अर्बेय प्रतिनिधियों के एच की शर्तों की
 पालना नहीं करने पर गलतियाँ जावे। संयंत्र मौका जॉय रिपोर्ट
 मौके पर बनाई जाकर हरताल किया जाये। राजस्व विभाग के
 अनुमात कामावती नदी/नाला राजस्व रिहा में रूप नहीं है।

17-01-23
 Surveys
 Ameland
 17/1/23

जि.सि.
 AEM/WARD
 JEN WARD

17/01/2023
 17/1/23

3/2
 17-01-2023
 Ameland District
 Am E(LNKS)
 17/01/2023
 (प्रशासक/नगरपालिका)
 -सचिव/सि.सि.क/निका

**Tabular chart of rainfall data of the last 29 years of rain gauge stations
Neem ka Thana and Raipur Patan Dam site**

S. No.	Year	Total Rainfall in M.M.	
		Neem ka Thana	Raipur Patan
1.	1995	694	-
2.	1996	890	-
3.	1997	351	-
4.	1998	163	-
5.	1999	332	-
6.	2000	290	-
7.	2001	350	-
8.	2002	207	-
9.	2003	524	-
10.	2004	417	-
11.	2005	719	-
12.	2006	384	-
13.	2007	342	387
14.	2008	555	305
15.	2009	336	400
16.	2010	1124	1124
17.	2011	849	583
18.	2012	680.5	553
19.	2013	510	290
20.	2014	553	553
21.	2015	562	251
22.	2016	650	328
23.	2017	429	333
24.	2018	838	754
25.	2019	619	500
26.	2020	575	398
27.	2021	581	517
28.	2022	412	474
29.	2023	701	562
30.	2024	648	758

TRUE COPY

VAKALATNAMA
BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPLE BENCH AT NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 350/2024 (PB)



IN THE MATTER OF:

AMIT KUMAR AND ANR.

... APPLICANTS

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

... RESPONDENTS

know All whom these presents shall come that I, **Ashok Kumar Verma**, aged about 56 years, at present working as **Assistant Mining Engineer, Neem ka thana and Officer in Charge (OIC)** for **Respondent No. 8, Department of Mines and Geology, Government of Rajasthan** do hereby appoint:

Prachi Mishra (D/2176/1999), Chaitanya (D/2594/2015)
8, Todarmal Lane, Bengali Market, New Delhi -110001
Ph: 9818488187; 8130068859; 8586840600
Email: mishraprachiadv@gmail.com

hereinafter called the Advocate/s to be my/our Advocate/s in the abovementioned Original Application and authorize him/them:

To act, appear and plead in the above noted case in this Court or in any other Court in which the same may be tried or heard and also in the Appellate Court.

To sign, file, verify and present pleadings, applications, appeals, cross-objections, or Petitions for execution, review, revision, withdrawal, compromise or other petitions replies, objections affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages.

To file and take back documents.

To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.

To deposit, draw and receive monies, cheques and grant receipts therefore and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said case.

To appoint and instruct any other Legal Practitioner authorizing him to exercise the powers and authorities hereby conferred upon the Advocate whenever he may thing fit to do so and to sign the power of attorney on my/our behalf.

And I/we the undersigned do hereby agree to ratify and confirm acts done by the Advocate or his substitute in the matters as if done by me/us to all intents and purposes.

And I/we the undersigned do hereby agree not to hold the Advocate or his substitute responsible for the result of the said case in consequence of his absence from the Court when the said case is called up for hearing, or for, any negligence of the said Advocate or his substitute.

And I/we the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or any part of the fee agreed by me/us to be paid to the Advocate remaining unpaid, he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid. If any costs are allowed for an adjournment, the Advocate would be entitled to the same.

IN WITNESS WHEREOF I/We do hereunto set my/our hand to these presents the contents of which have been understood by me/us this 29th day of June, 2024.

Accepted and Identified.

ADVOCATES

CLIENT

अशोक वर्मा (Ashok Verma)
सहायक खनि. प्र. वि. (Assistant Mining Engineer)
जिला नीमकाथान (Ka thana)